

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

कैस नं० : / 2024

रतन सिंह पुत्र श्री साहाबा, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री रतन सिंह पुत्र साहाबा, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएणडडी/डिलेय कैसिस/2024—5679, दिनांक 30—09—2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना व्यान हल्फी, दो गवाहन व्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसके पिता जिनका नाम साहाबा पुत्र निहाला है की मृत्यु तिथि 07—05—1974 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि का ईन्ड्राज ग्राम पंचायत पातलियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08—11—2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में साहाबा पुत्र निहाला, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 08—10—2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

कैस नं० : / 2024

बलदीप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी डाण्डा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी बलदीप सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी डाण्डा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-5152, दिनांक 19-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना व्यान हल्फी, दो गवाहन व्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी पत्नी जिसका नाम सीमा देवी पत्नी बलदीप सिंह है की मृत्यु तिथि 12-05-2020 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत डाण्डा के मृत्यु अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती सीमा देवी पत्नी बलदीप सिंह, निवासी डाण्डा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 08-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

कैस नं० : / 2024

दायर तिथि : 08-10-2024

श्रीमती पूनम पुत्री जगीर सिंह, निवासी कुंजा मतरालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती पूनम पुत्री जगीर सिंह, निवासी कुंजा मतरालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-5155, दिनांक 19-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना व्यान हल्फी, दो गवाहन व्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 17-07-1987 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत कुंजा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती पूनम पुत्री जगीर सिंह,

निवासी कुंजा मतरालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 08–10–2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

कैस नं० : / 2024

दायर तिथि : 08–10–2024

श्रीमती बीना कुमारी पुत्री हरनाम सिंह, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती बीना कुमारी पुत्री हरनाम सिंह, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएणडडी/डिलेय कैसिस/2024-2161, दिनांक 27-05-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना व्यान हल्फी, दो गवाहन व्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 23-05-1985 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्ड्राज ग्राम पंचायत अजौली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 09-11-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती बीना कुमारी पुत्री हरनाम सिंह, निवासी किशनकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 09–10–2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

कैस नं० : / 2024

दायर तिथि : 08—10—2024

श्रीमती रीना देवी पुत्री धर्म सिंह, निवासी अम्बाडा, डा० राजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती रीना देवी पुत्री धर्म सिंह, निवासी अम्बाडा, डा० राजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएणडी/डिलेय कैसिस/2024—5064, दिनांक 16—09—2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना व्यान हल्फी, दो गवाहन व्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01—04—1992 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत भरली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11—11—2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा रिथत पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती रीना देवी पुत्री धर्म सिंह, निवासी अम्बाडा, डा० राजपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 11—10—2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

कैस नं० : / 2024

दायर तिथि : 08—10—2024

श्रीमती रवीन्द्र कोर सिधु पुत्री श्री सतीन्द्र सिंह सिधु, निवासी वार्ड नं० १ बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती रवीन्द्र कौर सिधु पुत्री श्री सतीन्द्र सिंह सिधु, निवासी वार्ड नं0 1 बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएणडी/डिलेय कैसिस/2024—2585, दिनांक 21—06—2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना व्यान हल्फी, दो गवाहन व्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 05—01—1996 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज नगर पालिका परिषद् पांवटा साहिब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11—11—2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा रिथत पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती रविन्द्र कौर सिधु पुत्री श्री सतीन्द्र सिंह सिधु, निवासी वार्ड नं0 1 बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 11—10—2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : / 2024

दायर तिथि : 16—10—2024

ब्रजेश कुमार पुत्र जीत राम, निवासी फुलपुर शमशेरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी ब्रजेश कुमार पुत्र जीत राम, निवासी फुलपुर शमशेरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू—एन/एसटी/बीएणडी/डिलेय कैसिस/2024—5682, दिनांक 30—09—2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना व्यान हल्फी, दो गवाहन व्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 30—08—1988 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी स्वयं की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत फुलपुर शमशेरगढ़ के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16—11—2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में

अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में ब्रजेश कुमार पुत्र जीत राम, निवासी फुलपुर शमशेरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।